"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2004—श्रावण 29, शक 1926

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 11th August 2004

TENDER NOTICE

No. GB-IV Paper-(4) 2004-2005/994.—Sealed Tenders for the supply of approximately 60 M.T. (± 25%) Various kinds of Paper *i.e.* Kraft, Cover Manila and Azurlaid Paper etc., for general works of the department to the Govt. Press at Rajnandgaon superscribed with the words "Tender for Printing and Writing Paper for 2004 -2005" are invited from the Paper Mills or their Authorised Agents/Dealers of Manufacturing Mills. Tenders must reach this office latest by 3.00 P.M. on 10-9-2004 along with test report from Govt. Laboratory.

2. Tenders will be considered only in the forms supplied by us and only in the manner prescribed and under terms and conditions mentioned in the tender form.

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P.M. in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present. The tenders, samples along with test report from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the paper's and their quantities Required is given in the Tender Form. Tender form can be obtained from Office of the Director, Govt. Printing and Stationery, C.G., Raipur-492001 behind old Commissioner Office in person on any working days during working hours upto 8-9-2004 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs. 1100.00 payable by demand draft in favour of the Director, Govt. Printing and Stationery, C.G., Raipur but NOT BY POSTAL ORDER/MONEY ORDER. The Tender form by post will be sent only on the condition that the required Bank draft and application for purchase of tender form is received in this office upto 3-9-2004. The tender form will be despatched by Registered Post or by Speed Post or Courier Services but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

Sd/-
(P. C. Seth)
For, Director
Joint Director
Govt. Printing and Stationery Department
Behind old Commissioner Office,
Chhattisgarh Raipur.

Phone No. - 2331302

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 18 जून 2004

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]
[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 150/प्र./अ.वि.अ./04.—चूंकि संस्थापक मानवीय सूरज गंगा बाफना चैरिटेबल ट्रस्ट, दुर्ग ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गई न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23-7-2004 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, एस. आर. बांधे, अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 23 जुलाई 2004 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभापक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम	:	मानवीय सूरज गंगा बाफना चेरिटेबल ट्रस्ट, दुर्ग.
सम्पत्ति	:	रुपये पांच हजार नगद.

एस. आर. बांधे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 64/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री देवमणी पाण्डेय आत्मज पंडित रामनिहोर पाण्डेय बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर महामाई, रायपुर ने पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 24-7-2004 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर महामाई मंदिर वार्ड, रायपुर.
चल संपत्ति	:	नागरिक सहकारी बैंक में जमा राशि खा. नं. 11000 में 2000/- जमा.
अचल संपत्ति	:	ख. नं. 1919, रकबा आबादी 0.274 रायपुर.

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.